पहला अध्याय

प्रस्तावना

पहला अध्याय

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

सचिवालय स्तर पर राज्य में 53 विभाग हैं, जिनके प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव होते हैं, जो उनके अंतर्गत आयुक्तों/निदेशकों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायित हैं। इनमें से, 15 शासकीय विभाग व इन विभागों के अंतर्गत आने वाली 67 सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयां (पी.एस.यू.)/एक स्वायत्त निकाय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विभागों की लेखापरीक्षा की गई, जिनके प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गये। राज्य शासन की, 2010-15 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं उनके विरूद्ध वास्तविक आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2010-15 के दौरान राज्य शासन का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	14,181.41	14,646.68	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93	24,243.56	22,365.11
सामाजिक सेवाएं	14,915.24	17,345.40	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21	42,092.49	32,067.15
आर्थिक सेवाएं	9,664.10	10,084.48	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33	27,796.22	23,715.12
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,102.51	2,935.03	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4,527.20	4,539.29	4,881.55	4,225.44
योग (1)	**41,863.26**	**45,011.59**	**53,923.49**	**52,693.71**	**63,543.50**	**62,968.53**	**74,388.65**	**69,869.76**	**99,013.82**	**82,372.82**
पूंजीगत भाग										
पूंजीगत परिव्यय	8,024.72	8,799.88	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52	14,143.36	11,877.68
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,619.33	3,714.73	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52	3,883.82	12,534.61
अंतर्राज्जीय समायोजन	0	1.85	0	3.70	0	7.02	0	2.36	0	0.98
लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	5,922.00	2,529.23	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65	9,177.00	4,920.52
आकस्मिकता निधि	100.00	0	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0	200.00	301.08
लोक लेखा संवितरण	96,735.11	62,344.26	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	3,13,354.87	93,063.99	2,85,344.25	1,08,165.30
अंतिम रोकड़ शेष	-127.73	6,900.44	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03	-76.82	5,401.96
योग (2)	**1,12,273.43**	**84,290.39**	**1,71,877.08**	**1,09,124.13**	**2,48,637.18**	**1,10,346.48**	**3,39,007.35**	**1,17,438.07**	**3,12,671.61**	**1,43,202.13**
महायोग (1+2)	**1,54,136.69**	**1,29,301.98**	**2,25,800.57**	**1,61,817.84**	**3,12,180.68**	**1,73,315.01**	**4,13,396.00**	**1,87,307.83**	**4,11,685.43**	**2,25,574.95**

*चालू एवं साधन अग्रिमों व ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर

(स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट अभिलेख)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग

2013-14 के दौरान ₹ 85762 करोड़ के विरूद्ध, 2014-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूँजीगत व ऋण और अग्रिम) ₹ 1,06,787 करोड़ था । वर्ष के दौरान

राजस्व व्यय (₹ 82,373 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष (₹ 69,870 करोड़) से 17.89 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व व्यय कुल व्यय का 77.14 प्रतिशत भाग था । 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 9.8 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-आयोजनागत राजस्व व्यय जो राजस्व व्यय का 67.81 प्रतिशत था एवं पूर्ववर्ती वर्ष से 10.73 प्रतिशत से बढ़ गया था।

जबकि 2010-15 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में औसतन 17 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई, वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ औसतन 14 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुयी।

1.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2010-11 से 2014-15 के वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.2** में दिए गए हैं।

तालिका-1.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-आयोजनागत अनुदान	1,636	2,114	333	3,540	4,425
राज्य आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	4,522	4,215	7,099	5,536	9,011
केन्द्र आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	649	364	500	153	1,263
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	2,270	3,236	4,108	2,548	2,893
विशेष आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	0	0	0	0	0
योग	**9,077**	**9,929**	**12,040**	**11,777**	**17,592**
पूर्व वर्ष पर वृद्धि (अ)/कमी (-) का प्रतिशत	36.23	9.39	21.26	(-)2.18	49.38
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	17.50	15.86	17.10	15.55	19.85

1.4 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, योजनाओ/ परियोजनाओं इत्यादि, की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/ जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रण तथा हितधारियों की संबद्धता के जोखिम निर्धारण और पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विचारित करते हुए आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण करने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं, जिनमें उत्तर कार्यालय प्रमुख को एक माह के भीतर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई करने का

परामर्श दिया जाता है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2014-15 के दौरान राज्य के 514 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) और दो स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की गई । इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षा और एक दीर्घ प्रारूप कंडिका भी संचालित की गई।

1.5 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं एवं निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अभिलेखों के संधारण को सत्यापित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अनियमिताएँ इत्यादि पता लगती हैं जिनका, कार्यस्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है, ये निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुखों को एवं अगले उच्च प्राधिकारियों को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए, जारी किए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर, कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा महालेखाकार को इनका अनुपालन भेजा जाना अपेक्षित होता है। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताएँ भी, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के त्रैमासिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में लाई जाती हैं।

30 जून 2015 को, आर्थिक क्षेत्र विभागों[1] के 5,613 निरीक्षण प्रतिवेदन (21,769 कंडिकाएं) लंबित थे। इनमें से 1,543 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 3,991 कंडिकाऐं दस वर्षो से अधिक समय से निराकरण हेतु लंबित थी। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

2014-15 के दौरान, उच्च अधिकार प्राप्त समिति[2] की 10 बैठकें हुईं जिसमें 985 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 3815 कंडिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 534 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 2,669 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

---

1 पशुपालन, नागरिक विमानन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सहकारिता, ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मत्स्य, वन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, ग्रामोद्योग, पर्यटन एवं जल संसाधन।

2 उच्चाधिकार प्राप्त समिति में, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) से समूह अधिकारी एवं शाखा अधिकारी और राज्य शासन से विभाग के परिक्षेत्र प्रमुख (मुख्य अभियंता/ संयुक्त निदेशक), यूनिट प्रमुख (कार्यपालन यंत्री/ उप निदेशक) सम्मिलित होते है ।

विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा में लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पर्यवेक्षणों पर कार्रवाई करने में विफल रहे इसके परिणामस्वरूप उत्तरदेयता का ह्रास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शीघ्र व उचित उत्तरदेयता सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण की जाँच पड़ताल कर सकता है।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के क्रियान्वयन के साथ साथ चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियाँ जो विभागों की कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, प्रतिवेदित की हैं। यह विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा करने एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालकों को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने पर केंद्रित था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ प्रारूप कंडिकाओं पर अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि ऐसी कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है, में संभावित रूप से समाविष्ट होने को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उनको निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठकें करने का परामर्श दिया गया था। प्रतिवेदन में समावेश करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर के लिए अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं एक दीर्घ प्रारूप कंडिका एवं 17 प्रारूप कंडिकाओं पर प्रारूप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासकीय सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। किन्तु शासन के उत्तर केवल तेरह प्रारूप कंडिकाओं के प्रकरणों में प्राप्त हुए। सभी चार निष्पादन लेखापरीक्षा दीर्घ प्रारूप कंडिका के संबंध में, निर्गम सम्मेलन में शासन के साथ चर्चा हो चुकी है ।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आर.) में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर, यह ध्यान में न रखते हुए कि इनका लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया है कि नहीं, स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करनी थी। उनको, लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित, उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई या की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए विस्तृत टिप्पणियाँ भी राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उपलब्ध करानी थी।

आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 एवं 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कुल 102 कंडिकाओं में से 36 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2015) (**तालिका 1.3**)।

तालिकाः 1.3 आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर की प्राप्ति

वर्ष	विभाग	30.11. 2015 को लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण का दिनांक	विभागीय उत्तरों की प्राप्ति का नियत दिनांक
2009-10	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01	23-07-2011	23-10-2011
2010-11	लोक निर्माण	03	12-12-2012	12-03-2013
	जल संसाधन	02		
2012-13	सहकारिता	01	22-07-2014	22-10-2014
	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01		
	मध्य प्रदेश ग्रामीण सडक विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	02		
	लोक निर्माण	04		
	जल संसाधन	07		
2013-14	पशु पालन	01	22-07-2015	22-10-2015
	वन	01		
	नर्मदा घाटी विकास	03		
	लोक निर्माण	03		
	जल संसाधन	07		
	योग	**36**		

(स्रोतः विधान सभा सचिवालय द्वारा पुष्टिकृत आंकड़े)

1.8 लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां

राज्य शासन के विभागों के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जिनमें वसूलियां की जानी थीं, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए उन्हें पुष्टिकरण एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजा गया था।

2014-15 के दौरान ₹ 170.65 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा में इंगित की गई। उसी अवधि के दौरान, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों एवं चालू वर्ष में इंगित किए गए ₹ 13.70 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। महत्वपूर्ण धन मूल्य की वसूली के कुछ प्रकरण **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों द्वारा स्वीकृत/ वसूल की गई, वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग	अवलोकित की गई वसूलियों के विवरण	2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां			पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में 2014-15 के दौरान प्रभावित वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	इंगित किए गए	स्वीकार किए गए	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
जल संसाधन विभाग	एएसडी की कम कटौती के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता	01	0.64	0.44	01	0.44
जल संसाधन विभाग	मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान	01	3.63	3.63	01	1.43
लोक निर्माण विभाग	अधिक भुगतान	01	0.72	0.72	01	0.72
नर्मदा घाटी विकास विभाग	गलत मूल्य सूचकांको को अपनाने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	01	1.00	1.00	01	0.52

1.9 राज्य विधान मंडल में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य शासन द्वारा अनेक स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई है। संस्थाओं के लेन देन, परिचालन गतिविधियों एवं लेखाओं, नियमितता अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि का सत्यापन करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बड़ी संख्या में इन निकायों की लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य में आर्थिक क्षेत्र के विभागों के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

सौंपी गई लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा को लेखों का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) के जारी किए जाने और विधान मंडल के समक्ष रखे जाने की स्थिति को तालिका 1.5 में दिया गया है ।

तालिका 1.5 स्वायत्त संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

.क्र	संस्था का नाम	सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जहां तक खाते प्रस्तुत किए गए	अवधि जहां तक एसएआरों को जारी किया गया	विधान मंडल में एसएआर का रखा जाना	लेखों के प्रस्तुतीकरण/ अप्रस्तुतीकरण में विलंब[3]
1	म. प्र. खादी ग्रामोघोग बोर्ड, भोपाल	19 (3) सी एण्ड ए जी (डी सी पी) एक्ट के अंतर्गत 1998-1999 व आगे सौंपा गया	2012-13	2012-13	2009-10 से 2011-12 के लिए एसएआर मार्च 2015 में जारी की गई और विधान मंडल के समक्ष 9 दिसम्बर 2015 को रखी गई। राज्य विधान मंडल के समक्ष 2013-13 के लिए एसएआर को रखे जाने के स्थिति के संबंध में सूचना अनुस्मारकों (अगस्त 2015 और नवम्बर 2015) के बाद भी प्रतिक्षित थी।	2012-13 (26) 2013-14 (17) 2014-15 (5)
2	म. प्र. विद्युत विनियामक आयोग, भोपाल		2014-15	2014-15	वर्ष 2014-15 के लिए एसएआर सितम्बर 2015 में जारी की गई और विधान मंडल के समक्ष 09 दिसम्बर 2015 में रखी गई	2012-13

जैसा कि तालिका 1.5 में देखा गया है, मध्य प्रदेश (म.प्र.) लेखों के खादी ग्रामोघोग बोर्ड द्वारा लेखों के प्रस्तुततीकरण में 26 महीने तक का विलंब था । लेखों को प्रस्तुत किये जाने और राज्य विधान मंडल में एसएआरओ के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप स्वायत्त संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारी कार्रवाई शुरू करने में विलंब के अतिरिक्त, जहां शासन द्वारा निवेश किये गये थे, उन निकायों के कार्यो की जांच में विलंब हुये।

[3] विलंब की अवधि लेखों की प्राप्ति तिथि अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 नवम्बर 2015 तक से ली गई है।